

202

78

II/निरा/रोगा/ 2018/6/6

न्यायालय श्री मान राज्व महल रोवा लियर , सकिंट कोर्ट रोवा , जिला - रोवा



रिपब्लिक/विलोपित

रिपब्लिक/विलोपित

मध्य०

₹३०/-

- 1- ओम प्रकाश मिश्रा तनय के श्व प्रसाद मिश्रा ,
 2- अशोक कुमार मिश्रा तनय दिनेश प्रसाद मिश्रा ,
 3- आक्षय कुमार मिश्रा तनय छोटेलाल मिश्रा ,
 4- छोटेलाल मिश्रा तनय शिवशरण लाल मिश्रा ,
 5- चन्द्र कुमार मिश्रा तनय छोटेलाल मिश्रा ,
 6- दिनेश प्रसाद तनय शिवशरण मिश्रा ,
 7- सभी नि० ग्राम पतौना ,
 8- तहसील रायपुर कर्च०
 द्वारा- आम जन्ता ग्राम
 पतौना , तह० रायपुरकर्च०
 जिला - रोवा मध्य०

----- निगरानीकता ईंवे

बनाम

- I- अविन्द कुमार पाण्डेय तनय गोपीनाथ पाण्डेय निवासी ग्राम पतौना , तहसील
 रायपुर कर्च० जिला - रोवा मध्य०

2- शासनमध्य०

----- अन०/ उत्तरवादीगण

स्व-निगरानीविरद्ध न्यायालय कंल्कटर जिला -

रोवा मध्य० के द्वारा राज्व प्र० 23/अ १/

स्व निगरानी 2016-17 मे पारित आदेश दिनांक

30-10-17 ,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य० १९५६

मान्यवर ,

प्रकरण का सकिंत तथ्य निम्न है :-

- I- यहाँ उपरोक्त स्वनिगरानी निगरानी कर्ता गण द्वारा आमजन्ता ग्राम पतौना

2-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अं

क्रमांक II | निम्ना | मा. १८।१६। जिला— अस्सी

ओमपुकाश मित्रा विरुद्ध अवित्त कुटाटपाठ्य

(2)

10

154-19

1. आवेदक की ओर से श्री...प्राप्ति.21मा.पाठ्यप्र॑.अधिवक्ता
द्वारा यह निगरानी कलेक्टर / अपर कलेक्टर, जिला...रीवा.....
के प्रकरण क्रमांक 23/भृ.19/सु.भृ.16.17 में पारित
आदेश दिनांक 30.10.17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी
है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये
संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की
धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई
हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को
अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 24.8.2019 को
कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु
उपस्थित हो।

सदस्य